N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): जबलपुर
P.S. (थाना): गोरखपुर
Year (वर्ष): 2025
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0466
Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 18/06/2025 18:42 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	338
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(3)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	340(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): दरमियानी दिन
Date From (दिनांक से): 16/08/2024
Date To (दिनांक तक): 26/12/2024
Time Period (समय अवधि):
Time From (समय से): 10:00 बजे
Time To (समय तक): 10:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 18/06/2025
Time (समय): 18:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):Entry No. (प्रविष्टि सं.): 045
Date & Time (दिनांक और समय): 18/06/2025 18:28

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):पश्चिम, 02 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): गोरखपुर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): प्रभात परौहा

(b) Father's Name (पिता का नाम) : श्री बसंत कुमार परौहा

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1987 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	हल्का पटवारी गढा,अनुभाग गोरखपुर ,गोरखपुर,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	हल्का पटवारी गढा,अनुभाग गोरखपुर ,गोरखपुर,जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9229131111

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	सरिता कोष्टा उर्फ पीहू उर्फ पार्वती कोष्टा			1. कोष्टा मोहल्ला पड़ा की मढ़िया , के पास गढा ,गढा,जबलपुर,मध्य

	/sarita koshta			प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू॰डी॰प्रकरण सं.)

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मै रावेन्द्र तिवारी थाना गोरखपुर मे सउनि के पद पर पदस्थ हूं, दिनांक 18.06.25 को थाना मे शिकायत रजिस्टर मे दर्ज शिकायत आवेदन पत्र क्रमांक 114/25 दिनांक 19.06.25 जाँच हेतु प्राप्त हुआ , आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया जिसमे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) अनुभाग गोरखपुर जिला जबलपुर का पत्र क्रमांक /17 स्टेनो- एस.डी.एम/2025 जवलपुर दिनांक 16.05.25 बी.पी.एल कार्ड के सवंध मे किये गये फर्जीवाडा मे FIR दर्ज करने विषयक। कार्यालय नायाव तहसीलदार तहसील गोरखपुर जिला जवलपुर पत्र क्रमांक /182/री.ना.त/2025/ जबलपुर दिनांक 01.05.25 के माध्यम से बी.पी.एल कार्ड की जाँच किये जाने विषयक, तथा पार्वती कोष्टा, रितू रैकवार ,राहुल रैकवार, अरविन्द कश्यप , विनोद चक्रवर्ती, जितेश यादव, भारती तिवारी के कथन की फोटो कापी , पीहू कोष्टा को जारी नोटिस 02, पार्वती कोष्टा व्दारा प्रस्तुत सी.डी का आवेदन , संभागीय अधिकारी संभाग क्रमाक 02 कछपुरा नगर निगम जबलपुर का पत्र क्रमांक स.अधि/02/कछ/2024/446/ जबलपुर दिनांक 26.12.2024 बी.पी.एल कार्ड की जाँच विषयक, आवेदक सोहेल यादव प्रकरण क्रमांक 138 बी/121/2024-25 बीपीएल, आवेदिका उर्मिला शर्मा प्रकरण क्रमांक 135 बी/121/2024-25 बीपीएल, आवेदिका प्रियंका बेन प्रकरण क्रमांक - 137 बी/121/2024-25 बीपीएल, आवेदिका नेहा चक्रवर्ती प्रकरण क्रमाक 107 बी/121/2024-25 बीपीएल संलग्न है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग गोरखपुर के उपरोक्त पत्रानुसार फर्जी एवं कूटरचित तरीके से शासकीय अभिलेख तैयार किय जाने एवं धोखाधडी किए जाने के कारण भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओ मे प्राथमिकी दर्ज किये जाने हेतु श्री प्रभात परौहा पटवारी को अधिकृत किया गया है। श्री प्रभात परौहा पटवारी को आज दिनाकं 18.06.25 को थाना उपस्थित हुए जिनसे तत्सबंध मे पूछताछ कर कथन लेख किया गया जो अपने कथन मे बताये कि मै हल्का पटवारी गढा मे पटवारी के पद पर पदस्थ हूं , अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के पत्र क्रमाक 204(1)/ एसडीएम/स्टेनो/गो/2025 जबलपुर दिनांक 07.03.25 के माध्यम से फर्जी बी.पी.एल कार्ड की जांच हेतु नायब तहसीलदार गोरखपुर के साथ मुझे भी जांच दल मे शामिल किया गया था ,तहसीलदार महोदय के साथ मै जाँच मे उपस्थित था जाच के दौरान पार्वती कोष्टा, रितू रैकवार ,राहुल रैकवार, अरविन्द कश्यप , विनोद चक्रवर्ती, जितेश यादव, भारती तिवारी के कथन लेख किये गये थे तथा श्रीमान राजेश मिश्रा नायब तहसीलदार गोरखपुर के कार्यालयीन पत्र क्रमाक /182/री.ना.त/2025/ जबलपुर दिनांक 01.05.25 के माध्यम जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महोदय अनुभाग गोरखपुर की ओर भेजा गया था , जाँच मे निष्कर्षतः पाया गया था कि (1) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के पत्र क्रमाक 204(1)/ एसडीएम/स्टेनो/गो/2025 जबलपुर दिनांक 07.03.25 के माध्यम से (1) उर्मिला शर्मा ,(2) नेहा चक्रवर्ती, (3) सोहिल यादव,(4) प्रियंका बेन,(5) रुकमणी पटेल,(6) किरण वर्मन,(7) रिया केवट, बीपीएल कार्ड धारको की जाँच की उन्हे अ.वि.अधि.(राज)

कार्यालय गोरखपुर मे दर्ज एवं जारी होना नही पाया गया है। (2) जांच उपरांत पाया गया कि सरिता कोष्टा (पीहू कोष्टा) सही नाम पार्वती कोष्टा व्दारा आवेदको से अवैध तरीके से राशि प्राप्त कर फर्जी एवं कूटरचित तरीके से हस्ताक्षर किये जाकर फर्जी बी. पी.एल. कार्ड का आदेश आवेदको को दिये गये तथा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय मे कार्यरत कर्मचारी रितु बर्मन के सबंध मे काल रिकार्डिग के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये। अतः सरिता कोष्टा व्दारा धोखाधडी कूटरचना किये जाने के कारण इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।(3) प्रकरण मे की गई जांच एवं संबधितो के लिये गये कथन से समस्त लाभग्रहिता एवं अ.वि.अ.(रा.) गोरखपुर कार्यालय मे कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर रितू बर्मन एवं उसका देवर राहुल बर्मन का उक्त बी.पी.एल कार्ड जारी करने की प्रक्रिया मे भूमिका संदिग्ध होने से वास्तविक स्थिति पुलिस से जांच कराये जाने उपरांत स्पष्ट होगी। उपरोक्त कथन एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर पाया गया कि सरिता कोष्टा(पीहू कोष्टा) सही नाम पार्वती कोष्टा व्दारा आवेदको से अवैध तरीके से राशि प्राप्त कर कूटरचित तरीके से अनुविभागीय अधिकारी(रा.) के हस्ताक्षर किए जाकर फर्जी बी.पी.एल कार्ड का आदेश आवेदको को प्रदाय किया गया है, मुझे श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग गोरखपुर व्दारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने के लिए अधिकृत किया गया है मै प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं। प्रथम दृष्टया अपराध धारा 318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस (420,467,468,471 भादवि) का घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना मे लिया गया। नकल आवेदन पत्र अक्षरश जैल है कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग गोरखपुर जिला जबलपुर क्रमाक /17/स्टेनो /एसडीएम/2025 जबलपुर दिनाक 16.05.25 प्रति थाना प्रभारी गोरखपुर जिला जबलपुर (म.प्र.) विष बी.पी.एल कार्ड के सबंध मे किये गये फर्जीवाडे मे FIRदर्ज किये जाने विषयक सन्दर्भ नायब तहसीलदार गोरखपुर का पत्र क्रमाक /182/री.ना.त/2025 जबलपुर दिनांक 01.05.25 1. विषयान्तर्गत अनुक्रम मे लेख है कि कार्यालय संभागीय अधिकारी संभाग क्रमाक 02 कछपुरा नगर निगम जबलपुर के पत्र क्रमाक स.अधि/02/कछ/2024/446/ जबलपुर दिनाक 26.12.2024 के माध्यम से बी.पी. एल कार्ड क्रमश (1) उर्मिळा शर्मा 135/ बी 121/2024-25 (2) नेहा चक्रवर्ती 107/ बी 121/2024-25 (3) सोहिल यादव 138/बी 121/2024-25 (4) प्रियंका बेन 137/बी 121/2024-25 (5)रुकमणी पेटल 102/ बी 121/2024-25(6) किरण बर्मन 309/बी 121/2024-25(7) रिया केवट 69 बी 121/2024-25 की जाँच किए जाने हेतु पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण संज्ञान मे आया। 2. उपरोक्त प्रकरणो को इस कार्यालय के व्दारा BPLMIS पोर्टल मे जांच किये जाने पर प्रथम दृष्टया पाया गया कि प्रकरण इस कार्यालय से जारी नही किया गया है। तत्सबंध मे जाँच हेतु कार्यालय के पत्र क्रमाक 204(1)/ एसडीएम/स्टेनो/गो/2025 जबलपुर दिनाक 07.03.25 के माध्यम से नायब तहसीलदार गोरखपुर एवं प्रभात परौहा पटवारी गोरखपुर का समिति का गठन किया जाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया नायब तहसीलदार गोरखपुर का पत्र क्रमाक /182/री.ना. त/2025 जबलपुर दिनांक 01.05.25 के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ,पत्र के साथ नायब तहसीलदार का जांच प्रतिवेदन सबंधितो के कथन एवं अन्य दस्तावेज संलग्न है ,वस्तु स्थिति निम्नानुसार है (1) कार्यालय संभागीय अधिकारी संभाग क्रमाक 02 के पत्र मे अकिंत बी.पी.एल कार्ड इस कार्यालय से जारी न होकर फर्जी एव कूटरचित तरीके से जारी होना पाये गये है (2) जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सरिता कोष्टा(पीहू कोष्टा) सही नाम पार्वती कोष्टा व्दारा आवेदको से अवैध तरीके से राशि प्राप्त कर फर्जी एवं कूटरचित तरीके से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के हस्ताक्षर किये जाकर फर्जी बी.पी.एल का कार्ड का आदेश आवेदको को प्रदाय किया गया है। अत इनके विरुद्ध फर्जी एवं कूटरचित तरीके से शासकीय अभिलेख तैयार किये जाने एवं धोखाधडी किये जाने के कारण भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओ मे प्राथमिकी दर्ज की जाय। इस कार्यालय से प्राथमिकी दर्ज किये जाने हेतु श्री प्रभात परौहा पटवाही को अधिकृत किया जाता है। 3. प्रकरण मे प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सबधितो के कथन से समस्त लाभगृहिता की भूमिका जांच आवश्यक होने के कारण जांच उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जाय। 4. संपूर्ण जांच मे इस कार्यालय मे पदस्थ कम्प्यूटर आपरेटर श्रीमती रितु रैकवार एव उनके देवर श्री राहुल बर्मन की संलिप्ता होना श्रीमती सरिता कोष्टा के व्दारा बताया गया है। परन्तु काल रिकार्डिग के आतिरिक्त उपरोक्त प्रकरणो के सबध मे किसी भी प्रकार के साक्ष्य

उपलव्ध नही कराये है ।एवं अन्य लाभ ग्रहिताओ के व्दारा भी उनकी सलिपता के कथन नही किये है । परन्तु गरीबी रेखा कार्ड फर्जी एंव कूटरचित तरीके से जारी किए जाने मे इनकी भूमिका को भी पुलिस जांच आवश्यक होने के कारण जांच उपरांत आवश्यक कार्यवाही करे । संलग्न उपरोक्तानुसार हस्ताक्षर अस्पष्ट अग्रेजी दिनाक 16.05.25 अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग गोरखपुर जवलुपर पृक्र/17/स्टेनो/एसडीएम/2025 जिला जवलपुर दिनांक 16.05.25 प्रतिलिपि 1 कलेक्टर महोदय जवलपुर की ओर सादर सूचनार्थ 2 पुलिस अधीक्षक महोदय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ पद मुद्रा एव हस्ताक्षर अग्रेजी मे अस्पष्ट अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग गोरखपुर ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है |) or (या)

(1) **Registered the case and took up the investigation:**
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Ravendra Tiwari
No.(सं.): 182
Rank (पद): OFFICIATING ASST SUB INSPECTOR
to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.) थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)
Name (नाम): Ravendra Tiwari
Rank (पद): सउनि-कार्यवाहक